

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

क्रमांक/विजिनिफोदु/2026/265

दुर्ग, दिनांक 31/08/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 155
दिनांक: 25/05/2026

श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा,
नॉलेज प्रोग्रेसिव स्कूल, गुधेली,
विकासखण्ड बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)
बी.पी. क्रमांक — 1008968411

आवेदक

विरुद्ध

- कार्यपालन यंत्री, सीएसपीडीसीएल, साजा संभाग
- सहायक यंत्री, सीएसपीडीसीएल, बेरला उपसंभाग
- कनिष्ठ यंत्री, सीएसपीडीसीएल, भिमौरी वितरण केन्द्र

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 31/08/2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन प्रारंभ से अस्थायी घरेलू श्रेणी में बिलिंग किया जा रहा था। दिनांक 17.04.2026 को सतर्कता विभाग द्वारा परिसर का निरीक्षण किए जाने पर उक्त कनेक्शन का उपयोग शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जाना पाया गया निरीक्षण के आधार पर अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन की श्रेणी को अस्थायी घरेलू व स्थान पर अस्थायी गैर-घरेलू श्रेणी में मानते हुए ₹45,718/- की राशि का अतिरिक्त बिलिंग किया गया।

उक्त बिलिंग एवं कनेक्शन की श्रेणी के संबंध में असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह परिद फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

0/0



2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं :-

1. आवेदक के परिसर में अस्थायी विद्युत कनेक्शन स्थापित है।
2. उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग आवेदक द्वारा शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जा रहा है।
3. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 2 किलोवाट है।
4. उक्त कनेक्शन दिनांक 18.11.2022 से स्थापित है।

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन

आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, पिता श्री राममिलन मिश्रा, निवासी ग्राम गुधेली, विकासखण्ड बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा अपने परिवार में मुख्यतः यह कथन किया गया है कि उनके भवन में नालेज प्रोग्रेसीव स्कूल के नाम से शैक्षणिक संस्था संचालित है तथा उक्त परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित कनेक्शन, जिसका वी.पी. क्रमांक 1008968411 है, पूर्व से अस्थायी घरेलू श्रेणी में बिलिंग किया जा रहा था।

आवेदक के अनुसार कनिष्ठ यंत्री, भिमौरी द्वारा उक्त कनेक्शन के संबंध में ₹45,718/- की राशि गैर-घरेलू श्रेणी के आधार पर आरोपित की गई है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। आवेदक का यह भी कथन है कि लागू टैरिफ प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को कुछ परिस्थितियों में घरेलू श्रेणी के अंतर्गत विद्युत दर का लाभ प्रदान किया गया है। इस संबंध में आवेदक द्वारा अन्य फोरम, विशेषतः जगदलपुर फोरम के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।

आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था "राम मिलन शिक्षण एवं समाज कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़" नामक समिति के माध्यम से संचालित है। इसके समर्थन में आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 12.01.2017 को संस्था के पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संपत्ति कर के संबंध में घरेलू दर से संबंधित आदेश पारित किए गए हैं। अतः उसी आधार पर उपरोक्त शैक्षणिक संस्था को विद्युत की घरेलू दर का लाभ दिया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं :-

टैरिफ आदेश/प्रावधान की छायाप्रति।

जगदलपुर फोरम के निर्णय की छायाप्रति।

माननीय उच्च न्यायालय के संपत्ति कर संबंधी आदेश की छायाप्रति।

संस्था के पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में मुख्यतः निम्नलिखित कथन किया गया है :-

आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु अस्थायी घरेलू कनेक्शन लिया गया है, जिसका बी.पी. क्रमांक 1008968411 है तथा उक्त कनेक्शन दिनांक 18.11.2022 से स्थापित है।

दिनांक 17.04.2026 को सतर्कता विभाग द्वारा परिसर का निरीक्षण किए जाने पर यह पाया गया कि अस्थायी घरेलू कनेक्शन का उपयोग शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जा रहा है।

शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु विद्युत का उपयोग गैर-घरेलू प्रयोजन के अंतर्गत आता है। अतः सतर्कता विभाग के निरीक्षण के आधार पर प्रचलित नियमों के अनुसार ₹45,718/- की अतिरिक्त बिलिंग किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु जारी टैरिफ प्रावधानों के अनुसार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को ही निर्धारित शर्तों के अधीन घरेलू श्रेणी की दर का लाभ दिया जाना है।

वर्तमान प्रकरण में विद्युत कनेक्शन व्यक्तिगत नाम अर्थात् श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा के नाम पर अस्थायी घरेलू कनेक्शन के रूप में दर्ज है। अतः शैक्षणिक संस्था के उपयोग को देखते हुए इसे घरेलू श्रेणी में बनाए रखना उचित नहीं है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :-

“क्या आवेदक द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था के विद्युत उपयोग हेतु 18/11/2022 से स्थापित कनेक्शन की बिलिंग वर्तमान प्रचलित टैरिफ प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी घरेलू श्रेणी में किया जाना उचित है?”

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, कथनों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का सम्यक् परीक्षण किया गया।

अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर में 18/11/2022 से स्थापित विद्युत कनेक्शन अस्थायी घरेलू कनेक्शन के रूप में दर्ज है, किंतु वास्तविक रूप से उक्त परिसर का उपयोग शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जा रहा है। अतः कनेक्शन की श्रेणी निर्धारित करने के लिए विद्युत के वास्तविक उपयोग एवं उस समय प्रभावशील टैरिफ प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

वर्ष 2025-26 हेतु जारी टैरिफ आदेश जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू है, निम्न दाय घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत प्रायोजन निम्नानुसार निर्धारित है। टैरिफ आदेश के संबंधित पैरा निम्नानुसार है

".....एलवी-1: घरेलू प्रयोज्यता

इस टैरिफ का प्रयोजन आवासीय परिसरों, अनाथालयों, वृद्ध/शारीरिक रूप से अक्षम के लिए निवास हेतु और निराश्रितों के लिए निवास हेतु, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा संचालित धर्मशालाओं और कामकाजी महिला छात्रावासों, शासकीय विद्यार्थी छात्रावासों, आश्रमों, राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एनसीसी) के कार्यालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और रीडिंग रूम्स, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों (एक्स-रे, आदि के साथ).....

पूर्ववर्ती वर्षों में जारी टैरिफ आदेशों के अनुसार फर्मस् एण्ड सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत चैरिटेबल/गैर-लाभिक संगठनों/सोसायटीयों द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को टैरिफ एलवी-1 घरेलू श्रेणी के अंतर्गत बिलिंग किये जाने का प्रावधान था। वर्ष 2025-26 के लिए लागू टैरिफ आदेश अनुसार मात्र चैरिटेबल (धर्मार्थ) संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं पर ही लागू किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि संबंधित कनेक्शन का उपयोग शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जा रहा है।

किसी संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना मात्र उसे वर्तमान टैरिफ प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू विद्युत दर का स्वतः पात्र नहीं बनाता। घरेलू दर का लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित वर्ष के प्रभावशील टैरिफ आदेश में निर्धारित पात्रता एवं शर्तों की पूर्ति आवश्यक है।

वर्ष 2025-26 हेतु प्रभावशील टैरिफ आदेश में लागू प्रावधानों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि घरेलू दर का लाभ केवल उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जा सकता है जो टैरिफ आदेश में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करती हों।

आवेदक द्वारा संस्था के सोसायटी के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, किंतु फोरम के समक्ष ऐसा पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि संबंधित संस्था वर्तमान प्रभावशील टैरिफ आदेश में निर्धारित चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यक पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करती है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जगदलपुर फोरम का निर्णय भी वर्तमान प्रकरण में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी अन्य प्रकरण में पारित आदेश उस प्रकरण के तथ्यों एवं उस समय प्रभावशील टैरिफ प्रावधानों के आधार पर पारित हुआ होगा। इसी प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं के संपत्ति कर से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश विद्युत टैरिफ की श्रेणी निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि संपत्ति कर तथा विद्युत आपूर्ति की टैरिफ श्रेणी अलग-अलग वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित विषय हैं।

अतः फोरम इस निष्कर्ष
जो कि दिनांक 01/07/2025
करने हेतु आवश्यक
है कि विद्युत का
की दर
में

अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक द्वारा वर्तमान प्रभावशील टैरिफ आदेश जो कि दिनांक 01/07/2025 से लागू है, के अंतर्गत घरेलू श्रेणी की दर का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक पात्रता स्थापित नहीं पाई गई है।

चूंकि विद्युत का वास्तविक उपयोग शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु किया जा रहा है तथा वर्तमान प्रभावशील टैरिफ प्रावधानों के अनुसार आवेदक उक्त उपयोग के लिए घरेलू श्रेणी की दर का पात्र सिद्ध नहीं हुआ है, अतः अनावेदकगण द्वारा कनेक्शन को गैर-घरेलू श्रेणी में मानते हुए की गई बिलिंग को नियमसम्मत माना जाता है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में घरेलू श्रेणी की दर से विद्युत बिलिंग किए जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।
2. वर्तमान प्रभावशील टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के परिसर में शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु विद्युत के वास्तविक उपयोग को ध्यान में रखते हुए अनावेदकगण द्वारा की गई गैर-घरेलू श्रेणी की बिलिंग नियमसम्मत मानी जाती है।
3. उपरोक्त निर्देशों के साथ आवेदक का परिवाद निराकृत किया जाता है तथा प्रकरण का निष्पादन किया जाता है।
4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।
5. आदेश पारित।
6. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)

सदस्या

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम दुर्ग